भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1885
06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएमजेएवाई के अंतर्गत अनावश्यक सर्जरी

1885. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा अनावश्यक सर्जरी (जैसा कि 'द वायर' में रोगियों के लिए 16 नवंबर, 2024 को रिपोर्ट किया गया है) की जाती है, यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;
(ख) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों और रोगियों द्वारा योजना की शुरुआत से ही अनुचित सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और आयुष्मान वय वंदना कार्ड-धारक लाभार्थियों की राज्य-वार सूची क्या है; और
(घ) उक्त योजना के आरंभ से इसके अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): संदर्भाधीन मामले के संबंध में, उक्त अस्पताल और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ दिनांक 12.11.2024 को एफ़आईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा, अस्पताल और लिप्त डॉक्टरों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) से निलंबित कर दिया गया है।

दिनांक 25.11.2024 की स्थिति के अनुसार, सीजीआरएमएस पर कुल 18,184 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो उपचार के लिए मना करना, भर्ती, डिस्चार्ज या दवाओं के लिए शुल्क और प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) की अनुपलब्धता आदि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

एबी-पीएमजेएवाई योजना लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करता है। यह योजना किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और दुरुपयोग के प्रति शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में योजना में, विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और निवारण के लिए विभिन्न कदम उठाना शामिल हैं। राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (एनएएफयू) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) में स्थापित की गई है और धोखाधड़ी और दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों की जांच और उन पर संयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य धोखाधड़ी-रोधी इकाईयों (एसएएफयू) के साथ

समन्वय में काम करती है। धोखेबाज संस्थाओं के विरुद्ध निलंबन, कारण बताओ नोटिस, चेतावनी पत्र, अस्पतालों को पैनल से हटाना, ई-कार्डों को निष्क्रिय करना, उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर जुर्माना लगाना और एफआईआर दर्ज कराने सहित समुचित कार्रवाई की जाती है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या के उपयोग में लाभार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। प्रत्येक स्तर पर, शिकायतों को दूर करने के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियां हैं। लाभार्थी वेब-आधारित पोर्टल, केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केंद्रीय और राज्य कॉल सेंटर, ईमेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को पत्र आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है जिसमें अस्पताल के साथ समन्वय और योजना के तहत उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

(ग): एबी-पीएमजेएवाई का लक्ष्य भारत की आबादी के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर 40% परिवारों के 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत कुल 35.8 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। स्कीम के अंतर्गत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।
दिनांक 02.12.2024 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 20.4 लाख आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए गए हैं। इस योजना के तहत बनाए गए आयुष्मान वय वंदन कार्ड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

(घ): एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत, लाभार्थियों द्वारा योजना के वास्तविक उपयोग के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय अंश अधिकतम सीमा के अध्यधीन जारी किया जाता है। कोई राज्य-विशिष्ट आबंटन अथवा स्वीकृत राशि नहीं है। एबी-पीएमजेएवाई की स्थापना के बाद से इसके तहत आबंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई आबंटित निधियां (करोड़ रु में)**
2018-19	2079
2019-20	5795
2020-21	5995
2021-22	5995
2022-23	6000
2023-24	6220
2024-25	6878

अनुलग्नक-I

योजना के अंतर्गत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	72,939
आंध्र प्रदेश	1,55,76,406
अरुणाचल प्रदेश	1,47,005
असम	1,76,97,074
बिहार	3,56,39,789
चंडीगढ़	2,13,794
छत्तीसगढ़	2,27,26,145
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4,45,366
गोवा	81,888
गुजरात	2,61,36,516
हरियाणा	1,21,76,689
हिमाचल प्रदेश	13,39,890
जम्मू और कश्मीर	86,68,794
झारखंड	1,22,83,078
कर्नाटक	1,75,35,705
केरल	77,21,284
लद्दाख	1,89,601
लक्षद्वीप	36,996
मध्य प्रदेश	4,07,32,323
महाराष्ट्र	2,87,04,774
मणिपुर	6,53,206
मेघालय	20,09,470
मिजोरम	5,66,253
नगालैंड	7,40,084
पुड्डुचेरी	5,14,148
पंजाब	89,61,752
राजस्थान	2,23,43,366
सिक्किम	78,616
तमिलनाडु	75,33,010
तेलंगाना	82,49,233
त्रिपुरा	20,05,835
उत्तर प्रदेश	5,13,36,525
उत्तराखंड	58,16,538

अनुलग्नक-II

योजना के अंतर्गत बनाए गए आयुष्मान वय वंदन कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुष्मान वय वंदन कार्डों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	160
आंध्र प्रदेश	9756
अरुणाचल प्रदेश	13
असम	5212
बिहार	60402
चंडीगढ़	5175
छत्तीसगढ़	21371
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	709
गोवा	1484
गुजरात	201117
हरियाणा	60973
हिमाचल प्रदेश	11986
जम्मू और कश्मीर	531
झारखंड	4048
कर्नाटक	66050
केरल	387135
लद्दाख	5
लक्षद्वीप	27
मध्य प्रदेश	758756
महाराष्ट्र	17829
मणिपुर	2884
मेघालय	47
मिजोरम	33
नगालैंड	92
पुड्डुचेरी	2947
पंजाब	36518
राजस्थान	17547
सिक्किम	551
तमिलनाडु	60548
तेलंगाना	9574
त्रिपुरा	447
उत्तर प्रदेश	297673
उत्तराखंड	3210

*****